

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1094)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 926 दिनांक 16.08.2016 द्वारा श्रीमती सरोज सैनी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हॉल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालाखेडा (जिला अलवर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 26.12.2017 से 21.09.2018 तक 270 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

— 3 —  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 08/08/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1094)/2018/1736

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालाखेडा (जिला अलवर)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर